कार्यालय जिला न्यायाधीश, टिहरी गढवाल

वित्तीय वर्ष 2021–2022 हेतु कैटीन की नीलामी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय नई टिहरी में स्थित कोर्ट कैन्टीन संख्या–1 को वित्तीय वर्ष 2021–2022 में संचालन हेतु दिनॉक 15–04–2021 को अपराह्न 4.15 बजे न्यायालय प्रॉगण नई टिहरी में नीलामी/बोली की कार्यवाही की जानी है, कैन्टीन हेतु निर्धारित नियम एवं शर्ते इच्छुक आवेदनकर्ता जिला जजी टिहरी गढवाल की वेव साईट https://districts.ecourts.gov.in/tehrigarhwal से डाउन लोड कर सकते है।

31/3/2021
अपर सिविल जज (सी0डि0)/
सदस्य कमेटी
जिला जजी टि0ग0

31/3/2021
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
सदस्य कमेटी
जिला जजी टि0ग0

31/03/2021
कुटुम्ब न्यायाधीश/
अध्यक्ष कमेटी
जिला जजी टि0ग0

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के प्रशासनिक आदेश संख्या 34/2021 दिनांक 06.03.2021 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए जिला न्यायालय परिसर, नई टिहरी में स्थित कैन्टीन की नीलामी दिनॉक 15.04.2021 को सॉय 4:15 बजे न्यायालय प्रॉगण में कुटुम्ब न्यायाधीश टिहरी गढवाल की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष की जायेगी। यह दुकान निम्न प्रकार से खोली जानी प्रस्तावित है :–

जिस किसी व्यक्ति को बोली बोलनी हो वह निर्धारित तिथि व समय पर न्यायालय प्रॉगण में आकर बोली बोल सकता है । नियम व शर्तें निम्न प्रकार हैं , जिनका पालन किया जाना आवश्यक है :–

(1)–वित्तीय वर्ष 2019–2020 हेतु उक्त कैन्टीन को बोली/नीलामी के माध्यम से मु0 1,15,000/– संचालन पर दिया गया था जिस कारण वित्तीय वर्ष 2021–2022 हेतु नियमानुसार उक्त कैन्टीन की न्यूनतम बोली मु0 1,15,000/– में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए मु0 1,26,500/– निर्धारित की जाती है। बोली बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 28,750–00 की धनराशि बतौर जमानत जमा करनी होगी। यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति की बोली अधिक नहीं होगी तो उस स्थिति में जमानत की धनराशि वापस की जायेगी और अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति की धनराशि जमानत में परिवर्तित की जायेगी ।

(2)–नीलामी/बोली श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय की मंजूरी पर स्वीकृत होगी । नीलामी स्वीकृत होने पर ठेके की धनराशि 4 किश्तों में जमा करनी होगी । पहली किश्त व उतनी ही धनराशि की जमानत की धनराशि बोली बोलने वाले दिन ही जमा करनी होगी , दूसरी किश्त दिनॉक 01–07–2021 , तीसरी किश्त दिनॉक 01–10–2021 तथा चौथी किश्त दिनॉक 01–01–2022 तक जमा करनी होगी । नियत तिथि तक किश्त जमा न होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है तथा जमानत की धनराशि जब्त की जा सकती है । ठेके की अवधि समाप्त होने पर जमानत की धनराशि वापस की जायेगी ।

(3)–जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी वह नीलामी की शर्तों के अनुरूप एक बन्धनामा व एक स्थानीय तथा सम्मानित जमानत के साथ जिला न्यायाधीश के पक्ष में जमा करेगा, ऐसा न करने पर ठेका निरस्त किया जायेगा और दोबारा नीलामी की जायेगी तथा जमानत की धनराशि जब्त की जायेगी ।

(4)– प्रश्नगत कैन्टीन में किसी भी दशा में कोई भी नशीली वस्तु अथवा सड़ा गला खाद्य एवॅ पेय पदार्थ की बिक्री नहीं की जायेगी । खाने पीने की वस्तुओं को स्वच्छता के साथ विक्रय किया जायेगा तथा दुकान में किसी भी प्रकार से पालिथीन का प्रयोग नहीं किया जायेगा । उल्लॅघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा जमा की गई धनराशि जब्त की जायेगी व शेष धनराशि , यदि कोई हो, की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(5)–जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी वह बोली स्वीकृत होने के पश्चात बन्धनामा भरने , जमानत देने एवं पहली किश्त अदा करने के बाद आदेश मिलने पर दुकान का काम शुरू करेगा ।

(6)–दुकान में कार्य शुरू करने पर उसे अलग से सफाई एवॅ कूड़ादान की व्यवस्था करनी होगी ।

31/03/2021

(7)– नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति पर यदि कोई अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में लम्बित हो तो वह बोली नहीं बोल सकता है । इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष जमानत देते समय प्रस्तुत करना होगा । जिस व्यक्ति के नाम नीलामी छूटेगी वह स्वयॅं तथा उसके परिवार का कोई भी सदस्य अथवा नौकर , जिसका कोई आपराधिक इतिहास न हो , दुकान/रेस्टोरेंट पर बैठ सकता है ।

(8) जिस व्यक्ति के नाम नीलामी छूटेगी उसे बिजली एवं पानी का कनेक्शन स्वयं लगाना होगा तथा प्राप्त बिल का भुगतान स्वयं करना होगा।

(9) जिस व्यक्ति के नाम नीलामी छूटेगी वह स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगा, भोजन बनाने वाली जगह एवं भोजन पकाने वाली जगह साफ सुथरी एवं कीचड रहित, गन्दगी रहित रखेगा एवं भोजन सामग्री पर किसी प्रकार के मकडी, मच्छर, कीडे–मकोडे नहीं बैठे इस हेतु स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगा।

(10)– जिस व्यक्ति के नाम नीलामी छूटेगी वह गुटका, तम्बाकू एवं अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री नही करेगा।

(11) – कैन्टीन संचालक को नियमित रूप से सभी कार्य दिवसों में अनिवार्य रूप से कैन्टीन का संचालन करना होगा।

(12)–उपरोक्त शर्तों की अवहेलना करने पर ठेका निरस्त किया जायेगा एवॅ जमानत धनराशि जब्त की जायेगी तथा ठेका लेने वाले व्यक्ति पर यदि कोई धनराशि बकाया है तो उसकी वसूली नियमानुसार की जायेगी ।

(13)– जिला न्यायाधीश को बिना कारण बताये सबसे ऊॅंची बोली बोलने वाले की बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा। न्यूनतम बोली कमेटी द्वारा नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

31/3/2021	31/3/2021	31/03/2021
अपर सिविल जज (सी0डि0)/ सदस्य कमेटी जिला जजी टि0ग0	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सदस्य कमेटी जिला जजी टि0ग0	कुटुम्ब न्यायाधीश/ अध्यक्ष कमेटी जिला जजी टि0ग0

सूचना को निम्न स्थानों पर चस्पा किया जाय :–

1– जिला न्यायालय , नई टिहरी के सूचना पट्ट पर ,
2– जिलाधिकारी कार्यालय , नई टिहरी के सूचना पट्ट पर,
3– नगरपालिका परिषद कार्यालय , नई टिहरी के सूचना पट्ट पर ,
4– लोक निर्माण विभाग कार्यालय , नई टिहरी के सूचना पट्ट पर ,
5– सहायक निदेशक सूचना कार्यालय , नई टिहरी के सूचना पट्ट पर ।

31/3/2021	31/3/2021	31/03/2021
अपर सिविल जज (सी0डि0)/ सदस्य कमेटी जिला जजी टि0ग0	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सदस्य कमेटी जिला जजी टि0ग0	कुटुम्ब न्यायाधीश/ अध्यक्ष कमेटी जिला जजी टि0ग0